

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *99
ANSWERED ON 10.02.2023

CREDIT ACCESSIBILITY TO FOOD PROCESSING MSMEs

***99. SHRI MASTHAN RAO BEEDA:**

Will the Minister of *FOOD PROCESSING INDUSTRIES* be pleased to state:

- (a) whether Government is taking measures for easing access to credit for food processing based MSMEs given that access of MSMEs to finance is a perennial problem due to lack of proper credit history mechanism for MSMEs;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) if not, the reasons therefor; and
- (d) the details of other measures being taken for promotion of food processing based MSMEs?

ANSWER

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
(SHRI PASHUPATI KUMAR PARAS)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *99 FOR ANSWER ON 10TH FEBRUARY, 2023 ON “CREDIT ACCESSIBILITY TO FOOD PROCESSING MSMEs”

(a) to (d): The Government of India has taken several measures to ensure credit availability to food processing based MSMEs. The major initiatives include:

- (i) Food Processing Sector has been included under Priority Sector Lending (PSL) norms under the ‘agriculture’ category by Reserve Bank of India (RBI). As per extant PSL guidelines, loans for food and agro-processing up to an aggregate sanctioned limit of Rs.100 crore per borrower are eligible for classification under the priority sector lending.
- (ii) A Special Fund for food processing sector was set in 2014-15 at NABARD with a corpus of Rs 2000 crore for providing direct term loans at affordable rates of interest to the designated food parks and food processing units in such parks.
- (iii) Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing Credit Guarantee Scheme for Micro & Small Enterprises through Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE). Under this scheme, credit guarantee coverage ranges from 75% (others) to 85% (for micro units) for making available collateral free loans. Both term loans and/ or working capital loan is covered for micro & small enterprises.
- (iv) Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) was announced, as part of the AatmaNirbhar Bharat package, in May, 2020 to provide collateral free automatic loans for businesses, including MSMEs. The ECLGS is extended up to March 2023 with guarantee coverage of Rs. 5 lakh crore.
- (v) Scheduled Commercial Banks have been mandated by RBI not to accept collateral security in case of loans up to Rs 10 lakh extended to units in the micro and small sector.
- (vi) For improving flow of working capital requirements of micro & small units, minimum 20% of projected annual turnover of the unit upto borrowing limit of Rs 5 crore has been allowed.

The Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) is implementing a centrally sponsored scheme - PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME)- for providing financial, technical and capacity building support for formalization/ upgradation of unorganized micro food processing units in the country. The scheme is being implemented on a One District One Product (ODOP) basis. Under the PMFME, credit linked capital subsidy, seed capital, capacity building support, branding & marketing support is provided to the eligible entities. The scheme is being implemented from 2020-21.

The Ministry also implements a Production Linked Incentive Scheme for Food Products from year 2021-22 onward to promote manufacturing competitiveness, promote investment, exports and employment in the sector. The second component of the scheme provides incentives for production of Innovative/ Organic products by SMEs

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *99
10 फरवरी, 2023 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता

***99. श्री मस्थान राव बीडा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार यह देखते हुए कि एमएसएमई के लिए उचित ऋण क्रेडिट हिस्ट्री मैकेनिज्म की कमी के कारण एमएसएमई को वित्त की उपलब्धता एक स्थायी समस्या है, खाद्य प्रसंस्करण आधारित एमएसएमई को ऋण की आसान उपलब्धता के लिए उपाय कर रही है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) खाद्य प्रसंस्करण आधारित एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल रख दिया गया है ।

“खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता” के बारे में दिनांक 10 फरवरी, 2023 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *99 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (घ): भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण आधारित एमएसएमई को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- (i) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'कृषि' श्रेणी के तहत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) मानदंडों के तहत शामिल किया गया है। मौजूदा पीएसएल दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण के लिए प्रति उधारकर्ता 100 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत सीमा तक के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।
- (ii) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 2014-15 में नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक विशेष कोष स्थापित किया गया था, जो ऐसे पाकों में नामित खाद्य पाकों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ब्याज की सस्ती दरों पर प्रत्यक्ष सावधि ऋण प्रदान करता है।
- (iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, संपार्श्विक(कोलेटरल) मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज 75% (अन्य) से 85% (सूक्ष्म इकाइयों के लिए) तक है। सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी ऋण दोनों सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कवर किए गए हैं।
- (iv) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में मई, 2020 में एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा की गई थी। ईसीएलजीएस को 5 लाख करोड़ रुपये के गारंटी कवरेज के साथ मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है।
- (v) सूक्ष्म और लघु क्षेत्र में इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामले में आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संपार्श्विक सुरक्षा स्वीकार नहीं करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- (vi) सूक्ष्म और लघु इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के प्रवाह में सुधार के लिए, 5 करोड़ रुपये की उधार सीमा तक इकाई के अनुमानित वार्षिक कारोबार का न्यूनतम 20% की अनुमति दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के औपचारिककरण/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना - प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। पीएमएफएमई के तहत पात्र संस्थाओं को क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी, सीड कैपिटल, क्षमता निर्माण सहायता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2020-21 से लागू की जा रही है।

मंत्रालय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, क्षेत्र में निवेश, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 से खाद्य उत्पादों के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन योजना भी लागू करता है। योजना का दूसरा घटक एसएमई द्वारा नवीन/जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है

श्री दीपक प्रकाश : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित जो एमएसएमई बीमार है, रुग्ण है, उसको फिर से जिंदा करके खाद्य प्रसंस्करण में उसकी उपयोगिता कैसे हो सकती है और इससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, देश को कैसे लाभ मिलेगा, क्या आपके पास इसकी कोई योजना है?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं तीन बातें ही उनसे कहूँगा कि जो प्राइवॉरिटी सेक्टर है, जिसमें ब्याज पर्याप्त रहता है, लेकिन उसके बाद भी लोन देने की व्यवस्था 2015 में शुरू हुई थी। उसके बाद में नाबार्ड को अवसर दिया गया, जब मेगा फूड पार्क की स्कीम में पैसे की जरूरत पड़ी कि उनको लोन मिल सकता है। उसके लिए यह योजना है और इसमें ब्याज कम है यानी अभी इसमें 6.75 ब्याज दर है, तो मानकर चलिए कि डेढ़ परसेंट कम ब्याज पर उसको लोन मिलेगा। तीसरा, जो लाभ वे ले सकते हैं, वह क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो और स्माल इंडस्ट्रीज के लिए है, अगर इससे कोई लोन लेना चाहता है, तो उसको लोन मिल सकता है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 101, Dr. Santanu Sen; the hon. Member is absent.

* 101. [*The questioner was absent.*]